संख्या–658 /18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
नैनीताल, उधमसिंहनगर, चम्पावत,
हरिद्वार देहरादून, पौड़ी एवं टिहरी गढ़वाल।

राजस्व विभाग

देहरादून दिनांक : 28 सितम्बर, 2006

विषयः– प्रदेश में वर्ग–4 की भूमि के अवैध कब्जों का विनियमितीकरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में खतौनी के वर्ग–4 में दर्ज भूमि पर अनधिकृत कब्जों की समस्या काफी पुरानी है तथा इस समस्या के निदान हेतु विनियमितीकरण के आदेश पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य द्वारा भी समय–समय पर किये गये हैं। दिनॉक 03.06.1995 तक के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के अवैध कब्जों को पूर्ववर्ती उ0प्र0 सरकार द्वारा विनियमित किया जा चुका है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के उक्त अवधि के अवैध कब्जे 3.125 एकड़ तक के ही निःशुल्क विनियमित किये गए थे। अन्य वर्गो के मामले में अनधिकृत कब्जों को 1381 फसली (30 जून, 1974) तक सःशुल्क नियमित किया जा चुका है। किन्तु यह समस्या अभी भी विद्यमान है। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में वर्ग–4 की भूमि के अवैध कब्जों को विनियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया है। विनियमितीकरण के लिये निम्न सिद्धान्त एवं शर्ते होंगी :–

1. जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–132 के अन्तर्गत आने वाली भूमि (सार्वजनिक उपयोग जैसे– चकमार्ग, गूल, खलिहान, कब्रिस्तान, शमशानघाट, चरागाह आदि) का विनियमितीकरण नहीं किया जायेगा।

2. जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–132 के अन्तर्गत आने वाली भूमि (सार्वजनिक उपयोग जैसे– चकमार्ग, गूल, खलिहान, कब्रिस्तान, शमशानघाट, चरागाह आदि) पर यदि अवैध कब्जा पाया जाता है, तो उसे पहले खाली कराया जायेगा, और तब उस किसान की अन्य वर्ग–4 की भूमि का विनियमितीकरण किया जायेगा।

3. किसी किसान की वर्ग–4 की भूमि का विनियमितीकरण करने से पूर्व तहसीलदार को यह प्रमाण पत्र देना होगा, कि जिस किसान की वर्ग–4 की भूमि विनियमित की जा रही है, उस किसान के पास धारा–132 के अधीन आने वाली भूमि अवैध कब्जे में नहीं है।

.....(2)

4. वर्ग–4 की उस भूमि का विनियमितीकरण जिसका वाद मा0 न्यायालय में लम्बित है, इस शर्त के अधीन किया जायेगा कि विनियमितीकरण मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

5. विनियमितीकरण की यह नीति 1390 फसली अर्थात् दिनांक 30–6–1983 तक के अनधिकृत कब्जों पर ही लागू होगी।

6. विनियमितीकरण की यह नीति जनपद हरिद्वार, उधमसिंहनगर, नैनीताल की तहसील हल्द्वानी, लालकुंआ, रामनगर, कालाढूंगी एवं जनपद चम्पावत की तहसील पूर्णागिरी तथा जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर, देहरादून, ऋषिकेश, जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील कोटद्वार व जनपद टिहरी गढ़वाल के ढालावाला क्षेत्र की वर्ग–4 की भूमि के लिये ही है। गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण पर्वतीय जनपदों एवं क्षेत्रों में यह नीति लागू नहीं की जा रही है।

7. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की अपनी भूमि को सम्मिलित करते हुए वर्ग–4 की उतनी ही भूमि का विनियमितीकरण निःशुल्क किया जाये, जिसको मिलाकर उनके पास कुल 3.125 एकड़ भूमि से अधिक भूमि न हो।

8. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कब्जेदारों के लिए उनकी अपनी एवं वर्ग–4 की कब्जे की भूमि को मिलाकर 3.125 एकड़ से अधिक परन्तु 12.5 एकड़ से अनाधिक भूमि का विनियमितीकरण कब्जे की अवधि का भूराजस्व का बीसगुना तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 25 प्रतिशत नजराना लेकर कर दिया जाय।

9. सामान्य वर्ग के लिये, अपनी भूमि को सम्मिलित करते हुए वर्ग–4 की उतनी ही भूमि का विनियमितीकरण निर्धारित सर्किल रेट का 10 प्रतिशत नजराना जमा करने पर किया जायेगा, जिसको मिलाकर उनकी कुल भूमि 3.125 एकड़ तक हो जाये।

10. नगरीय क्षेत्र के भूमिहीनों को वर्ग–4 की 100 वर्ग मीटर तक भूमि का विनियमितीकरण कब्जे की अवधि का भूराजस्व का दोगुना तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत नजराना लेकर कर दिया जाय।

11. यदि किसी व्यक्ति के पास वर्ग–4 की भूमि को सम्मिलित करते हुए विनियमितीकरण के बाद 3.125 एकड़ से अधिक भूमि है, तो उसकी 6.25 एकड़ तक भूमि का विनियमितीकरण कब्जे की अवधि का भूराजस्व का बीसगुना तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 50 प्रतिशत नजराना जमा करने पर किया जाये।

.....(3)

12. यदि किसी व्यक्ति के पास वर्ग–4 की भूमि को सम्मिलित करते हुये 6.25 एकड से अधिक भूमि है, तो उसकी 12.50 एकड़ (अधिकतम सीलिंग सीमा) तक भूमि का विनियमितीकरण कब्जे की अवधि का भूराजस्व का बीसगुना तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 75 प्रतिशत नजराना जमा करने पर किया जाये।

13. शासनादेश संख्या–150/3/89/(206)–राजस्व–6 दिनांक 19 जुलाई, 1989 में दी गयी व्यवस्था के तहत जिन्होंने (30–6–1974 तक के अवैध कब्जे) विनियमितीकरण हेतु सम्पूर्ण धनराशि दिनांक 31–12–1989 तक जमा कर दी है, उनका विनियमितीकरण बिना किसी अतिरिक्त नजराने लिये किया जाये।

14– विनियमितीकरण हेतु पात्र अध्यासियों की पहचान उनका नाम खतौनी के श्रेणी–4 में अंकित अभिलेख से ही किया जायेगा। खतौनी में अंकित व्यक्ति के ऐसे भूमि पर कब्जे का सत्यापन तहसील स्तर पर किया जायेगा। तथा सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

15– उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ग–4 के अवैध काबिज भूमि का विनियमितीकरण पूर्व की भांति गवर्मेन्ट ग्रान्ट एक्ट 1895 के अनुसार पट्टे देकर किया जायेगा।

16– वर्ग–4 के ऐसे अध्यासी जिनकी मृत्यु वर्ष 1390 फसली के बाद हुई हो, उनके वारिसान के पक्ष में यह सन्तोष कर लेने के बाद नियमितीकरण कर दिया जाय कि जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 में उपबन्धित व्यवस्था के अनुसार मृतक अध्यासी के उत्तराधिकारी ही प्रश्नगत भूमि पर काबिज है।

17 खतौनी के वर्ग–4 के ऐसे खातों में जहां अनधिकृत अध्यासियों का नाम संयुक्त रूप से अंकित है और उनमें, भिन्न–भिन्न परिवारों के व्यक्ति भी शामिल हैं, ऐसे मामलों में यदि किसी डीड के आधार पर संयुक्त अध्यासियों के हिस्से भिन्न–भिन्न हैं, तो उसी के अनुसार नियमितीकरण किया जाय, अन्यथा उनके हिस्से बराबर मानकर कार्यवाही की जाय। यह ध्यान रखा जाय कि संयुक्त कब्जे की भूमि उपरोक्तानुसार पट्टे पर दिये जाने से किसी व्यक्ति के परिवार के पास नियमितीकरण के उपरान्त सीलिंग सीमा के अधिक भूमि न होने पावे।

18– वर्ग–4 की भूमि पर अनधिकृत काबिज जो अध्यासी उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर विनियमितीकरण नहीं करायेंगे, उनके विरूद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

.....4

19– वियमितीकरण की इस योजना की अवधि 30 जून, 2007 तक ही रहेगी।

20– अतः अनुरोध है कि 1390 फसली से पूर्व के वर्ग–4 के अनधिकृत कब्जों को नियमित करने की उपरोक्त योजना को शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कराया जाय और अपने स्तर पर प्रत्येक पक्ष में इसकी साप्ताहिक समीक्षा करके प्रगति रिर्पोट निर्धारित प्रारूप में शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। मण्डलायुक्तों द्वारा भी अपनी मासिक बैठक में इसकी प्रतिमाह समीक्षा करके सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव तथा वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल।
2– अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तरांचल।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
6– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
7– आयुक्त, कुमॉऊ/गढ़वाल मण्डल।
8– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर उत्तरांचल।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।